

भारत सरकार

रेल मंत्रालय

लोक सभा

23.07.2025 के

अतारांकित प्रश्न सं. 594 का उत्तर

जलगाँव में रेल परियोजनाओं के लिए अनुरोध

594. श्रीमती स्मिता उदय वाघः

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) क्या सरकार को महाराष्ट्र के जलगाँव जिले से विभिन्न रेल मांगों के संबंध में माननीय सांसदों से पत्रों और संसद के माध्यम से अध्यावेदन प्राप्त हुए हैं और यदि हाँ, तो तत्संबंधी व्यौरा क्या है;
- (ख) क्या सरकार का इस क्षेत्र में यात्रियों के लिए कनेक्टिविटी बढ़ाने हेतु भुसावल-पुणे और भुसावल-मुंबई के बीच नई रेल सेवाएँ शुरू करने का विचार है और यदि हाँ, तो तत्संबंधी व्यौरा क्या है;
- (ग) क्या अमलनेर, धरणगाँव, पाचोरा, चालीसगाँव और जलगाँव स्टेशनों पर लंबी दूरी की ट्रेनों के लिए नए ठहराव प्रदान करने या ठहराव बहाल करने का कोई प्रस्ताव है और यदि हाँ, तो रेलगाड़ी-वार तत्संबंधी व्यौरा क्या है;
- (घ) क्या सरकार ने जनता की माँग को पूरा करने के लिए भुसावल से या भुसावल तक मौजूदा ट्रेनों के विस्तार के किसी प्रस्ताव पर विचार किया है और यदि हाँ, तो उसकी स्थिति क्या है; और
- (ङ) जलगाँव लोक सभा निर्वाचन क्षेत्र में कार्यान्वयन के लिए अपेक्षित समय-सीमा सहित उपरोक्त मांगों पर की गई या प्रस्तावित कार्रवाई का व्यौरा क्या है?

उत्तर

रेल, सूचना और प्रसारण एवं इलेक्ट्रोनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री

(श्री अश्विनी वैष्णव)

(क) से (ङ): माननीय सांसद श्रीमती स्मिता उदय वाघ सहित अन्य व्यक्तियों से अन्य बातों के साथ-साथ गाड़ियों के ठहराव और विस्तार का प्रावधान करने के लिए अनुरोध प्राप्त हुए हैं। इनकी

जाँच की गई है और अनुरोधों के आधार पर, 11.06.2025 से कजगाँव में 01211/01212 बडनेरा-नासिक रोड स्पेशल के ठहराव की व्यवस्था की गई है। अमलनेर में 22663/22664 ताम्बरम-जोधपुर एक्सप्रेस को ठहराव देने का भी निर्णय लिया गया है। वर्तमान में, अमलनेर, धरनगाँव, पाचोरा, चालीसगांव और जलगाँव स्टेशन क्रमशः 54, 20, 27, 52 और 159 रेलगाड़ियों से सेवित किए जा रहे हैं।

भारतीय रेल ने भुसावल में निर्धारित ठहराव देने के साथ पुणे-रीवा एक्सप्रेस शुरू करने का निर्णय लिया है। यह रेल गाड़ी सेवा भुसावल-पुणे खंड पर पहले से चल रही 29 जोड़ी रेलगाड़ियों के अतिरिक्त होगी। इसी प्रकार, भुसावल-मुंबई खंड 74 जोड़ी रेलगाड़ियों से भलि-भांति सेवित है। इसके अलावा, भारतीय रेल पर रेलगाड़ी सेवाओं को ठहराव देना/विस्तार करना सतत् प्रक्रिया है, जो यातायात औचित्य, परिचालन व्यवहार्यता आदि के अध्ययधीन है।
